फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रसानी बनाम ऊषा

डावा

केस संख्या : 499/08

| केस संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 16-1-25 | पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/2025 को पेश हो। (सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर) |
| | 10-2-2025 | पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप स्थित। वाद वादी डिक्री किया जाता है। तनकी 1 ता 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वादीगण को उक्त आराजी ख.न. 18 रकबा 1.31 है०रेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री [illegible] लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 499/2008

1. मु0 सोनी बेवा बोदूराम (मृतक) निवासी ग्राम बिचपडी तहसील आमेर।
2. पेमाराम पुत्र श्री बोदूराम
3. रामचंद्र पुत्र श्री बोदूराम
4. रूडाराम पुत्र श्री बोदूराम
5. सीताराम पुत्र श्री बोदूराम
6. गोपाल पुत्र श्री बोदूराम

......... वादीगण

बनाम

1. रूडा पुत्र श्री गोपी बागडा, ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (फौत)

1/1. नाना बेवा स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल (फौत)
1/2. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल
1/3. सीताराम पुत्र स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/4. कमली पत्नी नारायण पुत्री स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नारायण जाति बागडा निवासी विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. छीतर पुत्र श्योनंदा जाति जाट निवासी ग्राम दुगालिया तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

**वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 88, 91, 92(अ),188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955**

उपस्थिति :–

(1) श्री ताराचन्द मीणा – अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
(2) श्री गौरी शंकर शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनाँकः– 10.02.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

## निर्णय

इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण स्वर्गीय बोदू पुत्र श्री छोटू के वारिसान है और बोदू की मृत्यु सन् 1994 में हो चुकी है। वादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 1.31 हैक्टेयर किस्म बारानी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर में स्थित है। जिसके वादीगण पुस्तैनी काबिज काश्तकार है तथा वादीगण बलाई जाति के व्यक्ति है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब्राहम्ण जाति के व्यक्ति है जिनका सबल गिरोह होने के कारण तथा आर्थिक दृष्टि से

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

संपन्न होने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 समय समय पर अलग अलग तरीके से इस भूमि को हथियाने की कोशिश कर चुका है जिसमें वह अभी तक विफल रहा है इस कारण उसने प्रतिवादी संख्या 2 जो भू माफिया गिरोह का सरगना है उसको साथ लेकर अब वादीगण की इस खातेदारी भूमि को जबरन हथियाने का षडयंत्र रचकर फर्जी एवं बिना बदल रजिस्ट्री प्रतिवादी नंबर 2 के नाम दिनांक 11.08.2000 को कराई है। जिसके कारण वादीगण को यह दावा अपनी भूमि व अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित पूर्व सेटलमेंट के टाईम पर वादीगण के पिता पति व पिता स्वर्गीय बोदूराम बलाई के नाम थी। जिसके अंकन में तहसील स्तर पर पटवारी व अन्य के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 ने विवाद चलाया था और वह विवाद राजस्व मंडल तक गया जहां पर वादीगण के पक्ष में निर्णय हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भू–माफिया गिरोह के प्रमुख प्रतिवादी नंबर 2 व अन्यों की सलाह से पुनः यह विवाद राजस्व अधिकारियों के समक्ष चलाया और अवैध कार्यवाही के जरिये उसने नामांतकरण अपने नाम अंकित करा लिया जिस विषय में वादीगण की ओर से ए.डी.एम. नंबर 4 जयपुर के यहां अपील लंबित हैं। जिसमें दिनांक 02.09.2000 की पेशी निश्चित है इस प्रकार विवादित प्रकरण विचाराधीन वाद लिसपेन्डीस के सिद्धांत से पूर्णतया प्रभावित है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय जैसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी, लेकिन उसके द्वारा दिनांक 11.08.2000 के विक्रय द्वारा उसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार आमेर के यहां क्रम संख्या 1051 पर पुस्तक संख्या 1 जिल्द 194 के पृष्ठ संख्या 11 पर पुस्तक संख्या 1 में कराया गया है जो फर्जी एवं बिना बदल होने के साथ ही विचाराधीन वाद के दौरान, प्रस्तुत होने से प्रारंभ से ही शून्य करार दिये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 चौमूं तहसील के ग्राम विमलपुरा का निवासी है जबकि विवादित भूमि तहसील आमेर के बिचपडी गांव की भूमि है और दोनों गांवों के बीच काफी दूरी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने भू माफिया गिरोह के सहारे वादीगण की इस भूमि को हथियाने का पूरा ईरादा कर रखा है। जिससे प्रार्थीगण को भय है कि गांव में अकेला बलाई परिवार इन भू माफियाओं से अपनी भूमि को नहीं बचा सकेगा। प्रस्तुत दावे में वादकारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में सब रजिस्ट्रार आमेर महोदय के समक्ष विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2000 पंजीकृत करवाने के कारण उत्पन्न हुआ ... दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र दर्ज पंजिका किया जाकर विधिवत प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया जिसमें संक्षिप्त तथ्य में अभिलिखित किया कि वादीगण बोदू पुत्र छोटू के वारिसान है, वादीगण का वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 18 रकबा 1.31 हैक्टेयर वाके ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, से कभी भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के

सहायक कलेक्टर
आमेर प्र. जयपुर

पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी में कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त स्वतः हो गये है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 के हक में सर्वथा वैद्य है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में सेटलमेंट टाईम पर कब और किस प्रकार वादीगण के पिता व पति के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही वादग्रस्त भूमि से संबंधित रिकॉर्डस में सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा किये गये अवैध व अनाधिकृत खसरा परिशोधन पत्र के विरूद्ध सक्षम न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उसकी अपील वादीगण द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो खारिज फरमा दी गई एवं बंदोबस्त की संक्रियाए बंद हो जाने के कारण उपरोक्त आदेशों की पालना में श्रीमान न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में रिकॉर्डस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बनाये गये है जिसके बाबत समस्त जानकारी वादीगण को है। परंतु वादीगण भ्रामक अभिवचन करने के दोषी है एवं श्रीमान न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में वादग्रस्त भमि को बेचान करने पूर्ण अधिकार है और बेचान कर के कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 को संभलाया था, जिसके नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है। संबंधित विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा, तो हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 के हक में दिनांक 19.03.2001 को बेचान कर के कब्जा सम्भला दिया गया, जिसका अमल दरामद रिकॉर्डस में किया जा चुका है और इसकी जानकारी वादीगण को है। न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय से मिन प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि में निहित खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है एवं बेचान सर्वथा कानूनी प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। विक्रय पत्रों के बाबत श्रीमान न्यायालय को किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

1. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है ?
2. आया अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते ?
3. आया राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.06.98 के अनुसार वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है और उक्त निर्णय उपरान्त स्वर्ण व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त भूमि के कराये गये पंजीबद्व विकय पत्र शून्य है?

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ?
5. तनकी निरस्त
6. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज बालू का कब्जा काश्त जागिर संवत 2009 के पहले से चला आ रहा है और कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है ?
7. आया प्रतिवादी को एडवर्स पजेशन ओर धारा 19 आरटीएक्ट के तहत वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार है?
8. आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने हक में कराने व वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है?
9. आया वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है?

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादिया पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 सोनी बेवा स्व. बोदूराम जाति बलाई निवासी बिचपडी तहसील आमेर जयपुर
2. PW2 पेमाराम पुत्र स्व. बोदूराम जाति बलाई निवासी बिचपडी तहसील आमेर जयपुर
3. PW3 रामचन्द्र पुत्र स्व. बोदूराम जाति बलाई निवासी बिचपडी तहसील आमेर जयपुर
4. PW4 रूडाराम पुत्र स्व. बादूराम जाति बलाई निवासी बिचपडी तहसील आमेर,जयपुर
5. PW5 सीताराम पुत्र स्व. श्री बोदूराम बलाई निवासी बिचपडी तहसील आमेर जयपुर
6. PW6 गोपाल पुत्र स्व. बोदूराम निवासी ग्राम बिचपडी तहसील आमेर जयपुर
7. PW7 शिशपाल बुनकर पुत्र स्व. आशाराम निवासी बिचपडी तहसील आमेर जयपुर
8. PW8 गोपाल धामल पुत्र स्व. देवबक्स जाति जाट निवासी ग्रम चन्दपुरा जाटान तहसील आमेर जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिलिपि खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2023 प्रदर्श–1, प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत प्रदर्श–2, प्रतिलिपि नामान्तकरण 40 दिनांक 23.09.1993 प्रदर्श–4, प्रतिलिपि पर्चा खतौनी खसरा नंबर 18 प्रदर्श–5, प्रतिलिपि निर्णय रेवेन्यू बोर्ड दिनांक 22.06.1998 प्रदर्श –6, प्रतिलिपि विकय पत्र दिनांक 11.08.2000 प्रदर्श–7, प्रतिलिपि विकय पत्र दिनांक 19.03. 2001 प्रदर्श–8, प्रतिलिपि जमाबंदी खसरा 18 संवत 2055 से 2058 प्रदर्श–9 वादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादी साक्ष्य वादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. DW1 सीताराम शर्मा पुत्र स्व. रूडा उर्फ रू... जाति बागडा निवासी ग्रम बिचपडी तहसील आमेर जयपुर।
2. DW2 रामस्वरूप शर्मा पुत्र स्व. रूडा उर्फ रूडे... जाति बागडा निवासी ग्रम बिचपडी तहसील आमेर जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:48:44 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रतिलिपि जमाबंदी ग्रम बिचपडी संवत 2012 प्रदर्श–डी1, प्रतिलिपि जमाबंदी ग्रम बिचपडी संवत 2014 से 2017 प्रदर्श–डी2, प्रतिलिपि जमाबंदी ग्रम बिचपडी संवत 2021 से 2024 प्रदर्श–डी5, प्रतिलिपि जमाबंदी खेवट खतौनी ग्रम बिचपडी संवत 2029 से 2032 प्रदर्श–डी6, प्रतिलिपि जमाबंदी खेवट खतौनी ग्रम बिचपडी संवत 2033 से 2036 प्रदर्श–डी7, प्रतिलिपि जमाबंदी खेवट खतौनी ग्रम बिचपडी संवत 2037 से 2040 प्रदर्श–डी8, प्रतिलिपि जमाबंदी

सहायक ... आमेर जयपुर

खेवट खतौनी ग्रम बिचपडी संवत 2055 से 2058 प्रदर्श–डी9, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2009 से 2012 प्रदर्श–डी10, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2038 से 2041 प्रदर्श–डी11, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2042 से 2045 प्रदर्श–डी12, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2046 से 2047 प्रदर्श–डी13, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2048 से 2049 प्रदर्श–डी14, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2050 से 2053 प्रदर्श–डी15, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2054 से 2057 प्रदर्श–डी16, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग प्रदर्श– 17, प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2009 प्रदर्श–डी18, प्रतिलिपि खसरा परिशोधन प्रदर्श डी 19, प्रतिलिपि निर्णय एसडीएम आमेर 136 एआरएक्ट दिनांक 10.05.1999 प्रदर्श डी 20, प्रतिलिपि निर्णय एडीएम तृतीय दिनांक 26.02.2002 प्रदर्श 21, प्रतिलिपि नामान्तकरण दिनांक 29.08.1999 प्रदर्श डी 22, प्रतिलिपित निर्णय संभागीय आयुक्त दिनांक 01.11.2002 प्रदर्श डी 25, प्रतिलिपि निर्णय एडीएम चतुर्थ दिनांक 24.01.2003 प्रदर्श डी 26, तहसीलदार पुलिस इमदाद प्रदर्श डी 27, प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2053 प्रदर्श डी 28, खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 2058 प्रदर्श डी 29, प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी प्रदर्श डी 30, प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी संवत 2059 से 2062 प्रदर्श डी 31, प्रदर्शित करवाया।

वादीगण की ओर से लिखित बहस दिनांक 05.09.2024 को प्रस्तुत जिसके संक्षिप्त तथ्य में अभिलिखित किया कि प्रार्थीगण स्वर्गीय बोदू पत्रु श्री छोटू के वारिसान है और बोदू की मृत्यु सन् 1994 में हो चुकी है। वादीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 18 रकबा 1.31 हैक्टेयर किस्म बारानी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर में स्थित है। जिसके वादीगण पुस्तैनी काबिज काश्तकार है तथा वादीगण बलाई जाति के व्यक्ति है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब्राहम्ण जाति के व्यक्ति है जिनका सबल गिरोह होने के कारण तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 समय समय पर अलग अलग तरीके से इस भूमि को हथियाने की कोशिश कर चुका है जिसमें वह अभी तक विफल रहा है इस कारण उसने प्रतिवादी संख्या 2 जो भू माफिया गिरोह का सरगना है उसको साथ लेकर अब वादीगण की इस खातेदारी भूमि को जबरन हथियाने का षडयंत्र रचकर फर्जी एवं बिना बदल रजिस्ट्री प्रतिवादी नंबर 2 के नाम दिनांक 11.08.2000 को कराई है। जिसके कारण वादीगण को यह दावा अपनी भूमि व अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित पूर्व सेटलमेंट के टाईम पर वादीगण के पिता पति व पिता स्वर्गीय बोदूराम बलाई के नाम थी। जिसके अंकन में तहसील स्तर पर पटवारी व अन्य के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 ने विवाद चलाया था और वह विवाद राजस्व मंडल तक गया जहां पर वादीगण के पक्ष में निर्णय हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भू–माफिया गिरोह के प्रमुख प्रतिवादी नंबर 2 व अन्यों की सलाह से पुनः यह विवाद राजस्व अधिकारियों के समक्ष चलाया और अवैध कार्यवाही के जरिये उसने नामांतकरण अपने नाम अंकित करा लिया जिस विषय में वादीगण की ओर से ए.डी.एम. नंबर 4 जयपुर के यहां अपील लंबित हैं। जिसमें दिनांक [illegible] की पेशी निश्चित है इस प्रकार विवादित प्रकरण विचाराधीन वाद लिसपेन्डेंस के सिद्धांत [illegible] प्रभावित है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय जैसी कार्यवाही [illegible] चाहिये थी, लेकिन उसके द्वारा दिनांक 11.08.2000 के विक्रय द्वारा उसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार आमेर के यहां क्रम संख्या 1051 पर पुस्तक संख्या 1 जिल्द 194 के पृष्ठ संख्या 11 पर पुस्तक संख्या 1 में कराया गया है जो फर्जी एवं बिना बदल होने के साथ ही विचाराधीन वाद के दौरान, प्रस्तुत होने से प्रारंभ से ही शून्य करार दिये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 चौमूं तहसील के ग्राम विमलपुरा का निवासी है जबकि विवादित भूमि तहसील आमेर के बिचपडी गांव की भूमि है और दोनों गांवों के बीच काफी दूरी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने भू माफिया गिरोह के सहारे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

की इस भूमि को हथियाने का पूरा ईरादा कर रखा है। जिससे प्रार्थीगण को भय है कि गांव में अकेला बलाई परिवार इन भू माफियाओं से अपनी भूमि को नहीं बचा सकेगा। प्रस्तुत दावे में वादकारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में सब रजिस्ट्रार आमेर महोदय के समक्ष विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2000 पंजीकृत करवाने के कारण उत्पन्न हुआ है और दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 ने बदनियति से विवादित भूमि का बेचान दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 3 छीतर पुत्र श्योन्दा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2001 को कर दिया है। जिसकी आड में प्रतिवादी संख्या 3 ग्राम पंचायत बिचपडी में अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाकर विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में रहे हैं जब प्रतिवादी संख्या 3 को इस बात का पता चला कि विवादित भूमि तो वादीगण के स्वामित्व की भूमि है और विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा है तो प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक दावा बाबत वसूल न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम संख्या 2 जयपुर यहां प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2005 को प्रतिवादी संख्या 3 छीतर पुत्र श्योनंदा के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश प्रसाद पुत्र नारायणलाल के विरूद्ध डिक्री किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर संवत 2000 के आसपास से बालू पुत्र डूगा का कब्जा काश्त होना बताया है, लेकिन कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है और प्रतिवादी ने कब्जा मुखालपाना के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि में खातेदारी हक निहित हो गये है ऐसा प्रतिवादी ने कथन किया है। इस संबंध में वादीगण का माननीय न्यायालय से निवेदन है कि धारा 88 में मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने को कोई प्रावधान नहीं है ना ही अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर धारा 19 के अंतर्गत कपटपूर्ण इंद्राज के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण की ओर से अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टांत डब्लू. एल. सी. 2000(1) पेज 59 एस. सी.,आर. आर. टी. 2014 (2) पेज 753, आर. आर. डी. 2017 पेज 352, डब्लू. एल. सी. 2009 (1) पेज 65 एस. सी.,आर. आर. टी. 2014 (2) पेज 753 पेश किये। वादीगण का माननीय न्यायालय से तनकी संख्या 1 पर निवेदन है कि विवादित भूमि पूर्व सेटलमेंट के टाईम पर वादीगण के पति व पिता स्वर्गीय बोदूराम जाति बलाई पुत्र छोटू के नाम अंकित थी। वादीगण के पूर्वज उक्त विवादित भूमि पर जागीरदार के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि संवत 2009 की गिरदावरी से स्पष्ट है। जबसे जमाबंदी एवं खतौनी बनने लगी जब से वादीगण के पूर्वज छोटू बल्द लांदू कौम बलाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के पति व पिता स्वर्गीय बोदूराम बलाई पुत्र छोटू के नाम अंकित चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने नायब तहसीलदार [illegible] मिलीभगत कर कब्जे के आधार पर दिनांक 20.04.1960 को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी [illegible] के तहत नामांतकरण संख्या 1 अपने नाम भरवा लिया जो कि अवैध है। उक्त नामांतकरण संख्या 11 के विरूद्ध वादीगण ने अपील प्रस्तुत करी जो कि राजस्व मंडल तक गई और राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.1998 में यह स्पष्ट कहा कि नायब तहसीलदार तस्दीक करने हेतु सक्षम नहीं था एवं नायब तहसीलदार ने समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की है एवं नायब तहसीलदार ने छोटू पुत्र लादू को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उक्त निर्णय पारित किया है इसलिए नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 20.04.1960 पर पारित आदेश खारिज किया गया था। जागीरी समाप्त होने के पश्चात जो भूमि जागीरदार के खुद काश्त की थी वो जागीरदार के नाम से रही और जिस भूमि पर कृषक काश्त कर रहे थे उस भूमि की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

कृषक के नाम से लगा दी गई थी जागीरी समाप्त होने के समय उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के पूर्वज छोटू बल्द लादू काश्त कर रहे थे और उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के पति व पिता स्वर्गीय बोदूराम बलाई पुत्र छोटू काश्त करते रहे। वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है और अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर धारा 19 के अंतर्गत कपटपूर्ण इंद्राज के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में बखूबी साबित है और वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है। माननीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 इस प्रकार से बनाई गई की "आया अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते" वादीगण का माननीय न्यायालय से तनकी संख्या 2 पर निवेदन है वादीगण अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति है और प्रतिवादीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 42 में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि का हस्तानान्तरण स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम किये जाने पर पाबंदी लगायी है। और ना ही विधि में बंध्ेज के सदस्य की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी देने के प्रावधान है और उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजो से चली आ रही पैतृक भूमि है। आर. बी. जे. 1999 पेज 21 (हाईकोर्ट) – अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अन्तरण गैर अनुसूचित जाति के हक में नहीं किया जा सकता है। डब्लू. एल. सी. 2001(1) पेज 599 एस. सी. – एस. सी. के सदस्य की भूमि पर धारा 19 के अंतर्गत कपटपूर्ण इंद्राज के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। DNJ 2015 (3) RAJ. PAGE NO 1303 - Khatedari right on land sc/st member is prohibited and not permissible under the law. इसलिए तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में बखूबी साबित है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। माननीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 इस प्रकार से बनाई गई की "आया राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 20.06.1998 के अनुसार वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है और उक्त निर्णय उपरांत स्वर्ण व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त भूमि के कराये गये पंजीबद्ध विक्रय पत्र शून्य हैं" वादीगण का माननीय न्यायालय से तनकी संख्या 3 पर निवेदन है कि वादीगण द्वारा राजस्व मंडल के समक्ष आदेश दिनांक 19.10.1994, आदेश दिनांक 06.07.1993 और आदेश दिनांक 20.04.1960 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिस पर सुनवाई कर माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.1998 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर यह स्पष्ट कहा कि नायब तहसीलदार नामांतकरण तस्दीक करने हेतु सक्षम नहीं था एवं नायब तहसीलदार ने समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की है इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानी अधीन आदेशो को अपास्त किया जाता है यह निर्णय [illegible] द्वारा पारित किया गया था उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने [illegible] के हक में कराये गये विक्रय एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 के हक में [illegible] क्योंकि अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अंतरण गैर अनुसूचित जाति के हक में नहीं किया जा सकता है उपरोक्त सभी कारणों से विक्रय पत्र प्रारंभ से ही शून्य करार दि[illegible] जाने योग्य है। आर. बी. जे. 1999 पेज 21 (हाईकोर्ट) – अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अंतरण गैर अनुसूचित जाति के हक में नहीं किया जा सकता है। DNJ 2015 (3) RAJ. PAGE NO 1303 - Khatedari right on land sc/st member is prohibited and not permissible unde the law. तनकी संख्या 4 इस प्रकार से बनाई गई की "आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है" वादीगण का माननीय न्यायालय से तनकी संख्या 4 पर निवेदन है कि वादीगण अनुसूचित जाति के गरीब

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ...
अमेर म. जयपुर

व्यक्ति है और प्रतिवादीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण ने भू माफिया गिरोह बना रखा है और वादीगण की भूमि को हथियाने का पूरा ईरादा कर रखा है। जिससे वादीगण को भय है कि गांव में अकेला बलाई परिवार इन भू–माफियाओं से अपनी भूमि को नहीं बचा सकेगा। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने अपना वाद दस्तावेजो से एंव साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किया जावे क्योंकि प्रतिवादी द्वारा अपना प्रतिवाद साक्ष्य एवं दस्तावेजों से साबित करने में असफल रहे हैं प्रतिवादी ने रामस्वरूप शर्मा पुत्र रूडमल का झूंठा शपथ पत्र मरे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही इस पर मेरे हस्ताक्षर है इस शपथ पत्र में लिखी हर बात झूठी है। रामस्वरूप शर्मा पुत्र रूडमल ने अपनी जिरह में यह माना है कि SC की जमीन हमारे नहीं लग सकती। ये तो अमीन एवं सरकारी कर्मचारी की गलती है। वादीगण ने डब्लू. एल. सी. 2000(1) पेज 59 एस. सी. ,आर. आर. टी. 2014 (2) पेज 753,आर. आर. डी. 2017 पेज 352,डब्लू. एल. सी. 2009 (1) पेज 65 एस. सी.,आर. आर. टी. 2014 (2) पेज 753, DNJ 2015 (3) RAJ. PAGE NO 1303, RRT 2004 (1) page no 165 ,RRD 1990 page no 479, RRD 1994 page no 129, RRD 202 page no 277 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य में अभिकथन किया कि वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 18 रकबा 1.31 हैक्टेयर वाके ग्राम बिचपडी तहसील आमेर के बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है, जबकि उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नंबर 18 पर ना तो कभी वादीगण का कब्जा काश्त रहा है, और ना ही वादीगण का उक्त खसरा नंबर से वादीगण का कोई संबंध व सरोकार है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नंबर 1 का इनके पूर्वजों के समय से व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही अर्थात संवत 2012 के पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वाधिकारी बालू सिंह को वादग्रस्त भूमि जागीरदारी अधिग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के तहत खालसा होने के समय खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, अन्यथा भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 (1) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वाधिकारी को खातेदारी अधिकार वादग्रस्त संपत्ति पर स्वतः प्राप्त हो गये थे जिसके बाबत् रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरूस्ती संवत् 2017 में प्रतिवादी संख्या 1 के हक में की गई थी तब से प्रतिवादी संख्या 1 व विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2000 तथा 19.03.2001 से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का क्रमशः कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 संपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अधीन जो व्यक्ति जागीर अधिनियम के प्रभाव में आने के समय काश्त कर रहा हो, और काबिज काश्त हो, वह स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है। गौरीशंकर बनाम राजस्थान राज्य 2000 आ.बी.जे. राजस्थान उच्च न्यायालय में लिखा गया कि [illegible] निष्फल कार्यवाही है, उसमें पारित निर्णय का नियमित वाद में पक्षकारान ने [illegible] हितो के बाबत् विनिश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। 1994 आर.बी.डी. पेज 659 श्री [illegible] बनाम छगनलाल में प्रतिपादित किया गया कि बिना कब्जा के वाद बाबत् घोषणा व स्थाई [illegible] चलने योग्य नहीं है। 1999 आर.बी.जे. पेज 158 राज्य सरकार बनाम समुन्द्र सिंह में लि[illegible]या कि राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र को निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

तनकी 1

आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है ?

तनकी संख्या 1 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के पूर्वज उक्त विवादित भूमि पर जागीरदार के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि संवत 2009 की गिरदावरी से स्पष्ट है। जबसे जमाबंदी एवं खतौनी बनने लगी जब से वादीगण के पूर्वज छोटू बल्द लादू कौम बलाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तहसीलदार को कब्जे के आधार पर दिनांक 20.04.1960 को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नामांतकरण भरना अधिकार क्षेत्र मे नहीं था। जो कि प्रदर्श–3 उल्लेखित है। उक्त नामांतकरण संख्या 11 के विरूद्ध वादीगण ने अपील प्रस्तुत करी जो कि राजस्व मंडल तक गई और राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.1998 प्रदर्श– 6 में यह स्पष्ट टिप्पणी कि नायब तहसीलदार तस्दीक करने हेतु सक्षम नहीं था एवं नायब तहसीलदार ने समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की है एवं नायब तहसीलदार ने छोटू पुत्र लादू को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उक्त निर्णय पारित किया है, से सही साबित हैं।

तनकी 2

आया अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते ?

तनकी संख्या 1 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और प्रतिवादीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 42 में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि का हस्तानान्तरण स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम किये जाने पर पाबंदी लगायी है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांतो में निर्णित आदेशो से हम सहमत है। आर. बी. जे. 1999 पेज 21 (हाईकोर्ट) – अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अन्तरण गैर अनुसूचित जाति के हक में नहीं किया जा सकता है। डब्लू. एल. सी. 2001(1) पेज 599 एस. सी. – एस. सी. के सदस्य की भूमि पर धारा 19 के अंतर्गत कपटपूर्ण इंद्राज के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। DNJ 2015 (3) RAJ. PAGE NO 1303 - Khatedari right on land sc/st member is prohibited and not permissible under the law. इसलिए तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

तनकी 3

आया राजस्व मण्डल के निर्णय [illegible] वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपना [illegible] दर्ज कराने के अधिकारी है और उक्त निर्णय उपरान्त स्वर्ण व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त भूमि के कराये गये पंजीबद्ध विक्रय पत्र शून्य है?

तनकी 4

आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ?

तनकी संख्या 3 एवं 4 सुविधा की दृष्टि से एकसाथ निर्णित की जा रही है। उक्त तनकीयो को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार वादीगण पर है।

माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.1998 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर यह स्पष्ट कहा कि नायब तहसीलदार नामांतकरण तस्दीक करने हेतु सक्षम नहीं था एवं नायंब तहसीलदार ने समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की है जो कि प्रदर्श– 6 से साबित है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में विक्रय पत्र दिनांक 11.08. 2000 पंजीकृत करवाया गया प्रतिवादी संख्या 2 ने आराजी का बेचान दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 3 छीतर पुत्र श्योन्दा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2001 को कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक दावा बाबत वसूल न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम संख्या 2 जयपुर यहां प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07. 2005 को प्रतिवादी संख्या 3 छीतर पुत्र श्योनंदा के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश प्रसाद पुत्र नारायणलाल के विरूद्ध डिक्री किया गया। प्रतिवादी 2 ने उक्त विकय पत्र का प्रतिफल प्राप्त कर लिया है जिससे यह स्पष्ट साबित है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं था तथा प्रतिवादी 2 ने प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया है। मौखिक बयानो में प्रतिवादी रामस्वरूप शर्मा पुत्र रूडमल ने अपनी जिरह में यह माना है कि एस.सी. की जमीन हमारे नहीं लग सकती। ये तो अमीन एवं सरकारी कर्मचारी की गलती है। ऐसे मे वादीगण ने उक्त तनकीया साबित करने में सफल रहे है। अतः तनकी संख्या 3 एव 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी 6**

आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज. बालू का कब्जा काश्त जागिर संवत 2009 के पहले से चला आ रहा है और कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है ?

तनकी संख्या 6 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवदीगण ने को दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसके मौखिक बयानो में प्रतिवादी रामस्वरूप शर्मा पुत्र रूडमल ने अपनी जिरह में यह माना है कि एस.सी. की जमीन हमारे नहीं लग सकती। ये तो अमीन एवं सरकारी कर्मचारी की गलती है। ऐसे मे प्रतिवादीगण ने उक्त तनकीया साबित करने में असफल रहे है।

**तनकी 7**

आया प्रतिवादी को एडवर्स पजेशन ओर धारा 19 आरटीएक्ट के तहत वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार [illegible] है उक्त के सबंध में अनेक न्यायिक दृष्टांतो में उल्लेख है जैसा कि [illegible] एस. सी. – एस. सी. के सदस्य की [illegible] कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते भूमि पर धारा 19 के अंतर्गत कपटपूर्ण इंद्राज के आधार पर कोई [illegible] है। इसके अतिरिक्त आरआरडी 14.06.2017 में प्रतिपा[illegible] किया गया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदाय नहीं है। जिससे हम पूर्णतः सहमत है। प्रतिवादीगण ने उस समय पजेशन के कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किये है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या 7 प्रतिवादी के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

**तनकी 8**

आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने हक में कराने व वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है?

तनकी 9

आया वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है?

तनकी संख्या 8 एवं 9 सुविधा की दृष्टि से एकसाथ निर्णित की जा रही है। उक्त तनकीयो को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण के पक्ष में निर्णत होने से उक्त तनकीया स्वतः प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 01 लगायत 04 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में सफल रहे हैं तथा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.31 हैक्टेयर वाके ग्राम बिचपडी जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
## (ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
## पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अंजु वर्मा
## आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 499/2008

1. मु0 सोनी बेवा बोदूराम (मृतक) निवासी ग्राम बिचपडी तहसील आमेर।
2. पेमाराम पुत्र श्री बोदूराम
3. रामचंद्र पुत्र श्री बोदूराम
4. रूडाराम पुत्र श्री बोदूराम
5. सीताराम पुत्र श्री बोदूराम
6. गोपाल पुत्र श्री बोदूराम

........ वादीगण

बनाम

1. रूडा पुत्र श्री गोपी बागडा, ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (फौत)

1/1. नाना बेवा स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल (फौत)

1/2. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल

1/3. सीताराम पुत्र स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1/4. कमली पत्नी नारायण पुत्री स्व. श्री रूडा उर्फ रूडमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नारायण जाति बागडा निवासी विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. छीतर पुत्र श्योनंदा जाति जाट निवासी ग्राम दुगालिया तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

**वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 88, 91, 92(अ),188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955**

तनकी संख्या 01 लगायत 04 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में सफल रहे हैं। अतः वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.31 हैक्टेयर वाके ग्राम बिचपडी जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर [illegible] आज तारीख 10.02.2025 को जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:44 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर